भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4260

26 मार्च, 2025 के लिए प्रश्न

चीनी कारखानों का आधुनिकीकरण और विस्तार

4260. श्री मड्डीला गुरूमूर्ति:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तिरुपति संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में गन्ने की खेती के विकास के लिए सरकार द्वारा तैयार की गई नीतियों या योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार की कोई योजना गन्ने के सुधार, उत्पादन और प्रबंधन पर अनुसंधान को सुविधाजनक बनाने के लिए राष्ट्रीय शर्करा संस्थान के समान आंध्र प्रदेश में एक समर्पित अनुसंधान संस्थान स्थापित करने की है; और

(ग) यदि हां, तो स्थान सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, तथा तिरुपति और आंध्र प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में गन्ना किसानों और चीनी के उद्योगों के लाभ के लिए अनुसंधान गतिविधियों का दायरा क्या है?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क): गन्ना किसानों और चीनी उद्योग के कल्याण के लिए पूरे देश के लिए नीतियां तैयार की जाती हैं। चीनी विकास निधि अधिनियम, 1982 के तहत, चीनी मिलों के आधुनिकीकरण एवं विस्तार, गन्ना विकास, खोई आधारित सह उत्पादन विद्युत परियोजनाओं, एनहाइड्रस एल्कोहल या इथेनॉल/जीरो लिक्विड डिस्चार्ज (जेडएलडी) संयंत्र के उत्पादन के लिए अन्य बातों के साथ-साथ चीनी मिलों को चीनी विकास निधि ऋण के रूप में वित्तीय सहायता दी गई। तथापि, इस विभाग द्वारा दिनांक 21.09.2021 के पत्र द्वारा एसडीएफ ऋण स्कीमें समाप्त कर दी गई हैं।

2/-

देश में इथेनॉल उत्पादन क्षमता की वृद्धि करने के लिए, अन्य बातों के साथ-साथ, देश भर में चीनी मिलों के लिए नई डिस्टिलरियों की स्थापना, मौजूदा डिस्टिलरियों का विस्तार और मौजूदा शीरा आधारित डिस्टिलरियों को दोहरी फीड डिस्टिलरियों में रूपांतरित करने हेतु केंद्र सरकार ने वर्ष 2018 से 2022 तक विभिन्न इथेनॉल ब्याज छूट स्कीमों को भी अधिसूचित किया है।

सहकारी चीनी मिलों के लिए उनके मौजूदा गन्ना आधारित इथेनॉल संयंत्रों को मल्टी-फीड आधारित इथेनॉल संयंत्रों में रूपांतरित करने के लिए दिनांक 06.03.2025 को एक नई स्कीम भी अधिसूचित की गई है।

(ख) और (ग): आंध्र प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि राज्य में तीन गन्ना अनुसंधान केंद्र संचालित है नामतः :

(i) क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान स्टेशन (आरएआरएस), अनाकापल्ली, अनाकापल्ली जिला।
(ii) गन्ना अनुसंधान स्टेशन, वुय्युरू, कृष्णा जिला।
(iii) कृषि अनुसंधान स्टेशन, पेरुमल्लापल्ली, तिरुपति जिला।

ये अनुसंधान केन्द्र, गन्ना किसानों और उद्योग के लाभ के लिए स्थानीय जलवायु परिस्थितियों को बनाए रखने के लिए क्षेत्र विशिष्ट गन्ना बीज किस्मों को विकसित करने और जारी करने हेतु कार्य कर रहे हैं। अब तक जारी की गई गन्ने के बीज की प्रमुख किस्में 2003वी46, 93 वी97, सीओटी8201, सीओए14321 और 2006ए223 हैं।

****